छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ

द्वितीय अपील क्रमांक **174/2006**

अपीलार्थी**(**वादी**):**

हरिचरण, आत्मज जैन मंगल, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम गुरमुटी, थाना बसंतपुर, तहसील वाड्रफनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण**(**प्रतिवादीगण**):**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दूधनाथ, आत्मज जयमंगल, आयु लगभग 70 वर्ष,
2. राम लखन, आत्मज दूधनाथ, आयु लगभग 45 वर्ष,
3. हीरा लाल, आत्मज दूधनाथ, आयु लगभग 40 वर्ष,
4. मोहन, आत्मज दूधनाथ, आयु लगभग 34 वर्ष,

   सभी निवासी ग्राम गुरमुटी, थाना बसंतपुर, तहसील वाड्रफनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
5. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, सरगुजा (छ.ग.)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा **100** के अधीन प्रस्तुत द्वितीय अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 174/2006

हरिचरण

विरुद्ध

दूधनाथ एवं अन्य

उपस्थिति**:**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

श्री डी.एन. प्रजापति, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक **22.6.2006)**

सुनील कुमार सिन्हा**,** न्यायाधीश द्वारा **:**

(1) यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन वादी की द्वितीय अपील है, जो दोनों न्यायालयों में हार चुका है। यह अपील द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), रामानुजगंज, जिला सरगुजा द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 9-ए/ 2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1, रामानुजगंज द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 20-ए/1996 में पारित निर्णय दिनांक 25.3.1998 से उद्भूत है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी ने वादपत्र की अनुसूची-ए में वर्णित भूमियों के संबंध में स्वत्व की घोषणा, विभाजन और पृथक आधिपत्य के लिए एक वाद प्रस्तुत किया था। उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिवचन किया कि अनुसूची-ए की वाद भूमियां वादी और प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त संपत्ति थीं। यह संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 24.5.2006 को एक नीलामी विक्रय में क्रय की गई थी परंतु विक्रय प्रतिफल का भुगतान संयुक्त परिवार की आय से किया गया था। उसने आगे यह अभिवचन किया कि तत्पश्चात, उनके परिवार में एक विभाजन हुआ था और अनुसूची-ए की कुछ भूमियां वादी के हिस्से में आवंटित की गई थीं। उसने यह भी अभिवचन किया कि वर्ष 1978 में, जब प्रतिवादीगण ने वादी की उस पूर्ण संपत्ति में उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जो उक्त विभाजन में उसके हिस्से में आवंटित की गई थी, तो वादी ने स्थायी व्यादेश (निषेधाज्ञा) के लिए एक वाद प्रस्तुत किया जिसे खारिज कर दिया गया और तत्पश्चात, उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत एक अपील भी दिनांक 16 फरवरी 1996 को खारिज कर दी गई और उसके बाद ही प्रतिवादीगण ने पुनः उक्त भूमियों पर आधिपत्य कर लिया। इससे वादी हेतु उपरोक्त अनुतोष के लिए वर्तमान वाद प्रस्तुत करने का वाद-कारण उत्पन्न हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों से इंकार करते हुए अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। उनके द्वारा यह अभिवचन किया गया कि वाद भूमियां प्रतिवादी क्रमांक की स्व-अर्जित संपत्ति थीं क्योंकि केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ही उन्हें उक्त नीलामी विक्रय में क्रय किया था और विक्रय के प्रतिफल का भुगतान भी उसके द्वारा अपनी स्वयं की आय से किया गया था। उन्होंने आगे यह अभिवचन किया

कि लगभग समान आधारों पर वादी द्वारा पूर्व में एक व्यवहार वाद क्रमांक 10-ए/1986 प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.2.1988 को खारिज कर दिया गया था और तत्पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध एक अपील भी खारिज कर दी गई थी और इस प्रकार, उक्त निर्णय एवं डिक्री अंतिम हो गई थी और वर्तमान वाद प्राङ्न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

(4) विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस प्रकरण में विभिन्न विवाद्यक विरचित किए और विवाद्यक क्रमांक 3 को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में लिया। यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए निर्णीत किया गया कि वादी का वाद आन्वयिक प्राङ्न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था क्योंकि लगभग समान बिंदु पूर्ववर्ती व्यवहार वाद में उठाए गए थे जिसे ऊपर संदर्भित निर्णय एवं डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर, वादी ने अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध, वादी ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

(5) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वाद प्राङ्न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित नहीं था क्योंकि पूर्ववर्ती वाद वर्तमान वाद की तुलना में एक भिन्न संपत्ति और एक भिन्न अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने अपने पक्ष में कई परिस्थितियों को इंगित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) मैंने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया है। पूर्ववर्ती वाद के निर्णय एवं डिक्री को अभिलेख पर रखा गया है। पूर्ववर्ती वाद में, जो वर्तमान अनुसूची-ए के कुछ भूखंडों के लिए प्रस्तुत किया गया था, विवाद्यक क्रमांक 1-ए यह विरचित किया गया था कि क्या वादी और प्रतिवादीगण क्रमांक 1 तथा 2 (समान पक्षकार) ने उक्त संपत्ति को नीलामी विक्रय में संयुक्त रूप से क्रय किया था? इस विवाद्यक का उत्तर यह है कि इसे उनके द्वारा संयुक्त रूप से क्रय नहीं किया गया था और इसका कारण यह है कि वादी यह स्थापित नहीं कर सका कि पूर्वोक्त संपत्ति सभी भाइयों द्वारा क्रय की गई थी। प्रतिफल के भुगतान और विभाजन के संबंध में अन्य विवाद्यक भी वादी के विरुद्ध निर्णीत किए गए थे और अंततः, स्थायी व्यादेश के लिए पूर्वोक्त वाद खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) पूर्ववर्ती निर्णय और वर्तमान निर्णय के परिशीलन के पश्चात, यह प्रतीत होता है कि दोनों व्यवहार वादों में विवाद्यक तथ्य समान थे और समान संपत्ति के लिए समान पक्षकारों के बीच लगभग समान बिंदु पश्चातवर्ती वाद में उठाए गए हैं जिन्हें पूर्ववर्ती वाद में निर्णीत किया जा चुका है।

(8) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 यह उपबंधित करती है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें वह विषय जो प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा हो, जो उन्हीं पक्षकारों के बीच, या उन पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी कर रहे हों, और जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद या उस वाद का,

जिसमें ऐसा विवाद्यक पश्चातवर्ती रूप से उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय में था, और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है तथा अंतिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है ।

(9) नंदलाल रॉय विरुद्ध प्रमथनाथ रॉय, ए.आई.आर. **1933** कलकत्ता **222** और श्रीमती राजलक्ष्मी दासी विरुद्ध वनमाली सेन, ए.आई.आर. **1953** एस.सी. **33** के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए, म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा शिवनारायण रामनारायण विरुद्ध नगर पालिका परिषद, गरोठ एवं अन्य, **1988** एम.पी.एल.जे. **475** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह विचार करने के लिए कि कोई पूर्ववर्ती निर्णय प्राङ्न्याय है या नहीं, प्रकरण में जो निर्णीत किया गया है उसके सारवान प्रभाव (मूल प्रभाव) पर विचार किया जाना चाहिए। प्राङ्न्याय का नियम विषय वस्तु की पहचान पर निर्भर नहीं करता है अपितु यह विवाद्यकों की पहचान पर निर्भर करता है। प्राङ्न्याय का परीक्षण दो मुकदमों में स्वत्व की पहचान है न कि प्रकरण में अंतर्वलित वास्तविक संपत्ति की पहचान।

(10) जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, पश्चातवर्ती वाद में उठाए गए लगभग सभी विवाद्यक पूर्ववर्ती वाद में निर्णीत किए जा चुके हैं। जहां तक वाद भूमियों का संबंध है, वे भी समान हैं सिवाय इसके कि कुछ खसरा नंबर, जो पूर्ववर्ती वाद की विषय वस्तु नहीं थे, लेकिन नीलामी विक्रय में क्रय की गई संपत्ति का अभिन्न अंग थे, उन्हें भी पश्चातवर्ती वाद में जोड़ा गया है। केवल यह विशेषता दोनों प्रकरणों में अंतर्ग्रस्त स्वत्व की पहचान या विषय वस्तु या वास्तविक विवाद्यक तथ्य की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहचान को परिवर्तित नहीं करती है। जहां तक अनुतोष की प्रकृति का संबंध है, मांगे गए अनुतोष(षों) का छद्मावरण प्राङ्न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता को शासित नहीं करता है, जो विवाद्यकों की पहचान के साथ-साथ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में प्रदत्त अन्य विशेषताओं द्वारा शासित होती है। अधीनस्थ न्यायालयों ने प्राङ्न्याय के सिद्धांतों को लागू करके वाद को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

(11) इस न्यायालय के मतानुसार, इस अपील में विचारार्थ विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। इस अपील में कोई सार नहीं है और इसे प्रारंभिक चरण पर ही खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**